न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 83/2018

प्रार्थी
गोवाराम पुत्र अचलाजी जाति कलबी (चौधरी) आयु 31 वर्ष पेशा खेती निवासी सियाकरा तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1– गेलाराम पुत्र देवाजी
2– वगताराम पुत्र देवाजी
3– मंटूदेवी पत्नि देवाजी
सभी आयु व्यस्क जाति कलबी (चौधरी) पेशा खेती निवासीयान सियाकरा तहसील व जि.सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री नारायणलाल कुम्हार
2– अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री दिनेशकुमार सुराणा

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त.अधि. 1955 के वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 15 –7–2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 26–7–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व अन्य के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी राजस्व ग्राम पादरूखेडा पटवार हल्का सनपुर तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–
खाता संख्या 65 नया 02 पुराना :–

कं.सं.	खसरा नंबर	रकबा	किश्म
1–	82	0.7800 हैक्टेयर	बंजर
2–	83	0.9700 हैक्टेयर	बंजर
3–	84	0.7300 हैक्टेयर	बंजर
4–	87	2.6300 हैक्टेयर	बंजर
5–	91	4.3600 हैक्टेयर	बंजर
6–	252/91	0.0100 हैक्टेयर	गै.मु.चाह

कुल किता 06 कुल रकबा 9.4800 हैक्टेयर

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

उक्त वर्णित कृषि भूमि मय कुंआ मे प्रार्थी व उसके भाई भूराराम पुत्र अचलाजी बहिन सजीबाई व लालीबाई पुत्रीयॉ अचलाजी का संयुक्त रूप से 1/2 आधा खातेदारी हक हिस्सा है तथा शेष 1/2 आधा हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व प्रभादेवी,सजीदवी व सोमादेवी पुत्रीयॉ देवाजी का है। प्रार्थी की बहिन श्रीमति सजीबाई व लालीबाई ने उक्त आराजी मेसे उनका हक हिस्सा जरिये पंजिकृत रिलीज डीड पंजीयन संख्या 115 दिनांक 25–1–2018 के जरिये प्रार्थी के ह कमे रिलीज कर दिया है। इस प्रकार उक्त आराजी मे प्रार्थी का 3/8 खातेदारी हक हिस्सा है व 1/8 हिस्सा प्रार्थी के भाई भूराराम का है व शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व प्रभादेवी,सजीदेवी वव सोमादेवी का है। जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमांदी मे दर्ज हैएवं माफिक हक हिस्सा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। उक्त वर्णित आराजी मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व अन्य सहखातेदार भूराराम पुत्र अचलाजी व प्रभादेवी सजीदवी व सोमादेवी पुत्रीयॉ देवाजी सभी कृषि आराजी का लगान अदा करते है। उक्त कृषि आराजी सभी खातेदारों के संयुकत खातेदारी व स्वामित्व की है तथा प्रत्येक खातेदार का उक्त कृषि आाराजी के भाग पर प्रत्येक इंज पर हिस्से अनुसार हक अधिकार है। उक्त आराजी पर एक पुराना कुंआ खुदा हुआ है जिस पर प्रार्थी के पिता श्री अचलाजी के नाम से विधुत कनेक्शन लिया हुआ है। इसके अलावा प्रार्थी ने अपने हक हिस्से की भूमि पर एक नया कुंआ खुदवाया है। जिस पर उन्होने सौर उर्जा संयत्र लगा रखा है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काफी बरसो से उक्त आराजी पर मौखिक बंटवाड अनुसार अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पपर कदीम से खेती करते आ रहे है व अपपने अपने कुंओ से पानी लेकर सिंचाई करते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण व अन्य सह खातेदार आपसी रजामंदी से अअपने अपने हक हिस्से अनुसार खेती करते है उक्त कृषि भूमि का विधि अनुसार विभाजन नही हुअइा है ओर खातेदारान आपसी रजामंदी से मोखिक बंटवाड अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। कृषि भूमि का लगान सभी अपने अपने हिस्से अनुसार एकत्रित करके संयुक्त रूप से अदा करते है व अपने अपने पर्सनल कुंओं सेसिंचाई करते है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 उक्त जुबानी बंटवाड को भंग करते हुये एक राय होकर उक्त वर्णित अरठ मय आराजी मे शान्तिपूर्वक काश्त मे दखलंदाजी दे रहे है तथा खडी फसल मे मवेशी डालकर प्रार्थी की फसल को नष्ट कर रहे है। खेती की बाड को तोड झगडा टंटा व खेती करने मे अवरोध पैदा करते है। इस कारण प्रार्थी ने उक्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने के लिये व अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये उक्त वाद न्यायालय मे पेश किया है।

अप्रार्थीगण को दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजी मे काश्त करने से वंचित होना पडेगा जिससे प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूप्यो मे नही आंका जा सकता । सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है क्योंकि प्रार्थी उपरोक्त वादग्रस्त अरठ मय आराजी मे 3/8 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार है। तथा उसे अपने हक हिस्से की आराजी का विभाजन कराने व उसकी सुरक्षा करने का हक अधिकार है।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती से प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजी से वंचित करना चाहते है जिससे आये दिन प्रार्थी व उसके मजदूरों के साथ झगडा फिसाद करते है व शान्तिपूर्वक काश्त करने मे दखलंदाजी करते है जिसका कि उन्हे कोई कानुनी हक अधिकार नही है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र बाद सुनवाई पक्षकारान स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा पाबंद किया जावे कि दौराने वाद उक्त वर्णित आराजी मे प्रार्थी के खातेदारी हक हिस्से की आराजी मे प्रार्थी व उसके मजदूरों को शान्तिपूर्वक काश्त करने मे व माफिक हक हिस्सा कुऐं से पानी लेकर सिंचाई करने मे किसी तरह की दखलंदाजी नही करें व न ही किसी अन्य से करावें इस अमर की निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात सूची अनुसार ग्राम पादरूखेडा पटवार हल्का सनपुर तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 65 के खसरानंबर 82,83,84,87,91 252/91 कुल खसरे 6 कुल क्षेत्रफल 9.4800 हैक्टेयर नक्शा किश्तवार शीट नंबर 2 रीलिज डीड दिनांक 25–1–2018 प्रार्थी अचलाराम पुत्र मोटाजी के नाम बा बिजली बिल माह अगस्त 2016 व अप्रेल 2015 की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ सहमत होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 20–8–2018 को न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर उक्त नोटिस बाद तामिल इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 1–10–2018 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक के नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये ।

विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 2–4–2019 क अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 तक की ओर से जरिये वकील जवाब पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया । उक्त जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध कराइ गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक ने अपने जवाब मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पादरूखेडा मे वादग्रस्त कृषि भूमि होना स्वीकार है।खसरा नंबर 52/251 पुराना पुश्तैनी कुंआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व अन्य के पिता ने जबानी बंट की प्राप्त भूमि पर एक कुंआ अपने खर्चा ससे करीब 28 वर्ष पूर्व नया खुदवा कर तैयार करवाया था व उसके पास ही निवास हेतु दो मकान निर्मित करवाये थे । जिसमे से एक मकान गत वर्ष की वर्षा ऋतु मे ढह गया था जो पुनः निर्माण करवाया जा रहा है। प्रार्थनानपत्र के पद संख्या 3 के संबंध मे कनिवेदन किया कि वर्णित कृषि भूमि मय कुंआ प्रार्थी व उसके भाई भूराराम व बहिन सजीबाई व लालीबाई का संयुक्त रूप से आधा हिस्सा होना स्वीकार है इस पद मे दर्शाये अनुसार प्रार्थी की बहिन सजीबाई व लालीबाई द्वासरा उनका खातेदारी हक हिस्से जरिये रीलीज डीड प्रार्थी के ह कमे रिलीज किया जाना अस्वीकार है। प्रार्थी अकेले के ह कमे रिलीज डीड से संपति मे हक छोडना कानूनन सही नही है। सजीबाई व लालीबाई द्वारा दर्शाये अनुसार उनका खातेदारी हक प्रार्थी अकेले के ह कमे तर्क किया जाना एवं उसके भाई भूराराम के ह कमे तर्क नही किये जाने से उनका

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

तर्कनामा साक्ष्य मे ग्राहय नही है। प्रार्थी का विवादित कृषि भूमि मे 3/8 खातेदारी हक हिस्सा होना अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का कथन की हकीकत अस्वीकार कर निवेदन किया कि पुराना कुंआ प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य के संयुक्त खातेदारी कब्जे अधिकार है एवं प्रार्थी के पिता पढे लिखे थे व बडे भाई होने के नाते विधुत सम्बन्ध शामलाती कुंऐ पर अपने नाम से करवाया था । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वरसाधिकारी देवाजी द्वारा उनके बंट मे आई भूमि पर उनके द्वारा निर्मित नये कुऐं पर भी विधुत सम्बन्ध अचलाजी पढे लिखे होने व बडे भाई होने के नाते अअपने नाम से करवाया था । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता ने अपपने हिस्से मे आई भूमि पर नया कुआ खुदवाया था एवं उस पर सौर उर्जा संयत्र अप्रार्थी ने लगवाया है। पक्षकारान के मध्य उनके पूर्वजो द्वारा किये गये जबानी बंट अनुसार अचलाजी ने कृषि भूमि खसरा नंबर 82,83 व 84 व खसरा संख्या 87 का बडा हिस्सा बंट मे रखा था एवं देवाजी के बंट मे खसरा नंबर 91 की भूमि व उससे लगती खसरा नंबर 87 की डेढ बीघा भूमि रखी थी । खसरा नंबर 252/91 को अचलाजी व देवाजी ने शामलात मे रखा था ।

अप्रार्थीगण ने अपने उक्त जवाब मे आगे यह कथन किया कि पक्षकारान उनके पूर्वरसाधिकारियेां द्वारा किये गये जबानी बंटवाड अनुसार अपने हिस्से पर आई भूमि पर काबिज काश्त है। पक्षकारान ने अपने हिस्से आई कृषि भूमि पर प्रत्येक ने एक एक कुंआ अपने अपने खर्चे से अपने अपने हिस्से की भूमि पर निर्मित करवाया है। अप्रार्थीगण के पिता ने अअपने हिस्से अआई भूमि पर दो मकान भी निर्मित करवाये थे उसमे से एक मकान गत वर्ष ढ गया था जो नया बनवाया जा रहा है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को पुश्तैनी कुंऐ से पानी लेने से रूकावट करता है व झगडे पर उतारू होताहै। अप्रार्थी संख्या 1 ने देवारामजी व अचलाजी के सभी परिवारजन खातेदारान को पक्षकार बनाकर धारा 53 आर.टी.एक्ट का राजस्व वाद जबानी बंट अनुसार कृषि भूमि के बंटवाड का पुख्ता व पुष्ट करने का किया है जो इसी न्यायालय मे विचाराधीन है। शेष प्रार्थनापत्र के कथनो की हकीकत सही नही होने से अस्वीकार किया है तथा जवाब के विशेष कथन के माध्यम से यह निवेदन भी किया कि प्रार्थी ने अपना 3/8 खातेदारी हिस्सा अपने ह कमे हुये रिलीज डीड के आधार पर होना दर्शाया है। इस रिलीज डीड से प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त होना अस्वीकार है। प्रार्थी ने जवाब के विशेष कथन के माध्यम से यह भी निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य उनके पूर्वजो द्वारा किये गये जबानी बंट अनुसार अचलाजी ने कृषि भूमि खसरा नंबर 82,83 व 84 व खसरा संख्या 87 का बडा हिस्सा बंट मे रखा था एवं देवाजी के बंट मे खसरा नंबर 91 की भूमि व उससे लगती खसरा नंबर 87 की डेढ बीघा भूमि छोडकर शेष भूमि बंट मे आना व अप्रार्थीगण के पिता के बंट मे खसरा नंबर 91 व उसके लगती हुई खसरा नंबर 87 की डेढ बीघा भूमि बंट मे आने व पुश्तैनी कुंआ अचलाजी व देवारामजी के शामलाती रखे जाने का उल्लेख नही किया है। प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग रेकर्ड मे दर्ज सहखातेदारान के विरूद्व की है जिससे प्रार्थी का वाद व यह प्रार्थनापत्र कानूनन परिपोषणीय नही होने से खारिज करवाना फरमावें ।

दिनांक 8–7–2019 को इस न्यायालय मे वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम 1955

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

पर अंतिम बहस रखी गई जिस पर वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण ने न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये यह कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। गत एक साल से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा जबानी मौखिक बंटवाड को भंग करते हुये एक राय होकर वर्णित आराजी मय अरठ मय आराजी मे शान्तिपूर्वक काश्त करने मे दखलंदाजी दे रहे है तथा खडी फसल को नष्ट कर रहे है प्रार्थी वादग्रस्त आराजी मय अरठ का 3/8 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार है मौके पर आज भी काबिज काश्त है जो तथ्य राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी आराजी मे जबरन काश्त करना चाहते है। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 65 तथा कानूनी नजीर आर.आर. टी 2014(1) कमलादेवी बनाम चम्पालाल पेज नंबर 509 513 पेश की है। उक्त कानूनी नजीर का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर भी मनन किया ।

वकील अप्रार्थीगण ने भी अपनी बहस मे उक्त प्रार्थनापत्र के जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की शामलात भूमि है अप्रार्थीगण को–टिनेण्ट है दूसरो के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा ला सकते है वादग्रस्त आराजी अविभाजित है खातेदार को अपने हक हिस्से की आराजी मे प्रवेश करने का अधिकार है। जब तक वादग्रस्त कृषि आराजी का विभाजन नही होता है तब तक वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक इन्च पर हर खातेदार का हक हिस्सा होता है। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने कानूनी नजीरे निम्नानुसार पेश की है :–

1– आर.आर.डी. 1984 पेज नंबर 492
2– आर.आर.डी. 2003 पेज नंबर 310
3– आर.आर.डी. 2006 पेज नंबर 413
4– डब्लयु.एल.सी.(वी.सी.)राज पेज 47

उक्त कानूनी नजीरो का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया ।

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब व संलग्न राजस्व रेकर्ड दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । वकील उभय पक्षकारान की उक्त अंतिम बहस पर भी ध्यानपूर्वक मनन किया । वकील उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत उक्त कानूनी नजीरों का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व रेकर्ड के परिशिलन परीक्षण के उपरान्त निष्कर्षत्यात्मक तथ्य यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौजा पादरूखेडा पटवार हल्का सनपुर तहसील सिरोही के जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 65 के खसरा नंबर 82,83,84,87,91,252/91 कुल 6 कुल क्षैत्रफल 9.4800 हैक्टेयर वादग्रस्त कृषि आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की है। उक्त कृषि आराजी अविभाजित है। जब तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता है तब तक उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी पर प्रत्येक इन्च पर खातेदार का हक हिस्सा कब्जा माना गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का ऐसा कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का उचित कारण बनता हो । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक वादग्रस्त कृषि आराजी के अभिलिखत खातेदार है। और इस प्रकार से प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण/सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्राथी अकेले के पक्ष मे जाना जाहिर नही होता है। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य मूल विवाद बिन्दु है उसका निर्धारण मूल वाद मे कायमी तनकीयात व उनका बाद साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण परीक्षण के उपरान्त तय करने के बाद होगा । विवादित कृषि आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की है इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा से रेकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है। विचाराधीन प्रकरण मे वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आर.आर.डी. 1984 पेज नंबर 492 शीर्षक सरदार बनाम गिरराज प्रसाद निर्णय दि 2 मार्च 1984 पूर्ण रूप से लागु होने से मै उक्त कानूनी नजीर से सहमत हूँ । अतः उपरोक्त सभी के आधारो पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर,टी,एक्ट, 1955 बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारीज) किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
सहायक कलक्टर
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 15–7–2019 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
सहायक कलक्टर
सिरोही (राज.)